

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

**पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

**मुकदमा नम्बर:—37/2020 (2020/00060) प्रार्थना पत्र**

**अनवान**

1. कन्हैयालाल आत्मज लेहरूलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रोड़ी पुत्री हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. उदा आत्मज भैरा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश आत्मज माधु जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रोशन आत्मज माधु जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शोभालाल आत्मज मियाचन्द जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. अम्बालाल आत्मज मियाचन्द जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. सोहनी पत्नि देवा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बाली पत्नि लच्छीराम जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट**

**निर्णय**

दिनांक 21.07.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 2 व मृतक रामा आत्मज हरलाल जाट के खातेदारी अधिकारों की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2503 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 2505 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2506 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 2507 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 2508 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 2514 रकबा 0.11 है0, कुल कित्ता 6 कुल रकबा 1.25 है0 भूमि खाता संख्या 330 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। खातेदार रामा आत्मज हरलाल जाट ने उक्त आराजियात 09.01.2019 को रजिस्टर्ड वसीयत पत्र प्रार्थी कन्हैयालाल जाट के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। वसीयत के आधार पर प्रार्थी उनके हिस्से का खातेदार हो गया। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 24.02.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।



प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 19.03.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण संख्या 2 व मृतक रामा आत्मज हरलाल जाट के खातेदारी अधिकारों की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2503 रकबा 0.54 है, आराजी संख्या 2505 रकबा 0.04 है, आराजी संख्या 2506 रकबा 0.01 है, आराजी संख्या 2507 रकबा 0.21 है, आराजी संख्या 2508 रकबा 0.34 है, आराजी संख्या 2514 रकबा 0.11 है, कुल किता 6 कुल रकबा 1.25 है भूमि खाता संख्या 330 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 300/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
उपसहायक अधिकारी  
सहायक कलक्टर अधिकारी  
रायपुर जिला अभिलेखी

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—37/2020 (2020/00060) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1. कन्हैयालाल आत्मज लेहरूलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रोड़ी पुत्री हरलाल जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. उदा आत्मज भैरा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जगदीश आत्मज माधु जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रोशन आत्मज माधु जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. शोभालाल आत्मज मियाचन्द जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. अम्बालाल आत्मज मियाचन्द जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. बाली पत्नि लच्छीराम जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट**

**प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत**

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 21.07.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोट पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थी संख्या 2 व मृतक रामा आत्मज हरलाल जाट के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2503 रकबा 0.54 है0, आराजी संख्या 2505 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2506 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 2507 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 2508 रकबा 0.34 है0, आराजी संख्या 2514 रकबा 0.11 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 1.25 है0 भूमि खाता संख्या 330 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 300/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बधित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 21.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(सुन्दर लाल बम्बोडा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक न्यायाधीश (उपखण्ड)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

